राज्यसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 452

27 अप्रैल, 2016 को उत्त र के लिए

घरेलू इस्पात कंपनियों में निवेश करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना

452. श्री विजय गोयल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए बेलआउट पैकेज तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बेलआउट पैकेज का कितना मूल्य है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय घरेलू इस्पात कंपनियों में निवेश हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तघर

इस्पा7त और खान राज्या मंत्री (श्री विष्णुष देव साय)

(क) और (ख) जी नही । सरकार इस्पाेत क्षेत्र के लिए बेल-आउट की तैयारी नही कर रही है। तथापि इस्पा7त उद्योग की सहायता के लिए एक उपयुक्ती विस् तृत पैकेज तैयार करने पर विचार करने हेतु इंडियन चैम्बपर ऑफ कॉमर्स और इंडियन स्टीपल एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यारवेदनों को वित्तीडय सेवाएं विभाग को भेजा गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में भारतीय इस्पा त उद्योग एक तीव्र गिरावट के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक रूप से मांग में गिरावट और अधिशेष क्षमता के परिणामस्वमरूप इस्पाेत की अन्तेर्राष्ट्री य कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट हुई है और भारत में सस्तेष आयातों की अत्याधिक वृद्धि हुई,हैंजिसके परिणामस्वदरूप इस्पातत की घरेलू कीमतों में गिरावट हुई है। कम कीमतों से लाभ मार्जिन में गिरावट आई है और बिक्री से प्राप्ति कम हो गई है। घरेलू इस्पावत उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याईओं को दूर करने और घरेलू इस्पा त कम्पसनियों में निवेश के लिए अन्तकर्राष्ट्रीैय कम्परनियों को प्रोत्साकहित करने हेतु भारत सरकार ने अनेक उपाय किए है। जिसमें निम्नि शामिल है:-

(i) इस्पा त क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई, 2015 में 5:25 योजना का विस्तानर किया है जिसके द्वारा अवसंरचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को उनके आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायती अवधि के आधार पर ऋण चुकाने के लिए लम्बी अवधि अर्थात 25 वर्ष और तत्प श्चा त् प्रत्येपक 5 वर्षो में आवधिक पुनवित्तेपोषण की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पाईत पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चांतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ता् युक्त। इस्पा्त का उत्पा दन या आयात हो, इस्पानत और इस्पा त उत्पाेद(गुणवत्तात नियंत्रण) आदेश , 2012 को दिसम्बपर , 2015 में संशोधित किया गया।

(iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टीेल (फ्लैट एवं लांग), स्टे नलैस स्टीुल (लांग)और नान-अलॉय लांग उत्पायद पर आयात शुल्कस्बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत (5 प्रतिशत से) किया गया तथा नान

अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पापदों पर यह शुल्क. बढ़ाकर 10 प्रतिशत (7.5 प्रतिशत से) किया गया है इसे अगस्तउ 2015 में पुन: संशोधित किया गया। वर्तमान में आयात शुल्का फ्लैट स्टी ल पर 12.5 प्रतिशत, लांग स्टीगल पर10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्डं स्टीरल उत्पा्दों पर 10 प्रतिशत लागू है।

(v) स्टे नलैस स्टी्ल के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्डप फ्लैट उत्पादिों के चीन($ 309 प्रति टन) , कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vi) 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वाेयलों में नान अलॉय और अन्यप अलॉय स्टीनल के हॉट रोल्ड) फ्लैट उत्पायदों पर मार्च, 2016 में 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्कआ लगाया गया है।

(vii) 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मदों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्य से कम पर करने की अनुमति नही होगी।

***